

4 पते का विवरण वर्तमान स्थायी विदेश में *फटका के लिए आवश्यक

पते का प्रकार* आवासीय/व्यवसाय निवास व्यवसाय पंजीकृत कार्यालय अनिर्दिष्ट

पता*:

शहर/गाँव*:

राज्य*:

जिला*:

पिन*:

* देश कोड

5 पते का विवरण पत्राचार स्थानीय/ वर्तमान वर्तमान / स्थायी पते के समान

पते का प्रकार* आवासीय/व्यवसाय आवासीय व्यवसाय पंजीकृत कार्यालय अनिर्दिष्ट स्थान* महा. श. अ.श. ग्रा

पता*:

शहर/गाँव*:

राज्य*:

जिला*:

पिन*:

6 यदि आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (ओवीडी) में वर्तमान पता उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करें.

उपभोक्ता बिल (2 माह से अधिक पुराना नहीं हो) पीपीओ/एफपीपीओ प्रापर्टी या म्यूनिसिपल टैक्स की रसीद (नवीनतम)

नियोक्ता / राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, सांविधिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी किया गया आवास आवंट पत्र. इसी तरह आधिकारिक आवास आवंटित करने वाले ऐसे नियोक्ताओं के लीव और लाइसेंस करार

दस्तावेज क्र. तारीख: दि दि मा मा व व व व

स्व घोषणा (यदि आधार, पहचान साक्ष्य के उद्देश्य से स्वैच्छिक रूप से प्रदान किया गया है और वर्तमान पता केंद्रीय पहचान डेटा रिपोजीटिंग से अलग है तो यूआईडीआईआई द्वारा प्रदान की गई ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग कर आधार संख्या का प्रमाणीकरण अनिवार्य है।)

7 घोषणा सह वचनपत्र सह स्व प्रमाणन

- मुझे दिए गए खाता खोलने के फॉर्म के नियमों और शर्तों की प्रति को मैंने पढ़ लिया है। नियमों और शर्तों को मुझे/हमे समझाया गया और समझा भी, जिसे मैं स्वीकार करता हूँ।
- मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने पीएमएएलए, 2002 के तहत केवाईसी मानदंडों के अनुपालन के लिए स्वेच्छा से पहचान और / या पते के प्रमाण के लिए यूआईडीआईआई द्वारा जारी आधार कार्ड प्रस्तुत किया है।
- मैं एतद्वारा सहमति देता/दिती हूँ कि बैंक इसे यूआईडीआईआई से सत्यापन कर सकता है और यूआईडीआईआई को स्पष्टतः अधिकृत करता /करती हूँ कि वह बायोमेट्रिक /ओटीपी के माध्यम से पता बैंक को दे सकता है हाँ नहीं - (डीबीटी का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी प्रमाणीकरण और आधार सीडिंग अनिवार्य है)

कृपया नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाए स्टेपल न करें

आवेदक का हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान कृपया केवल काली स्याही से हस्ताक्षर करें

स्थान तारीख: दि दि मा मा व व व व

8 कार्यालय के उपयोग हेतु प्राप्त दस्तावेज स्व प्रमाणित सत्यापित प्रतियां नोटरी ऑफलाइन सत्यापन से प्राप्त डेटा डिजिटल केवाईसी प्रक्रिया समतुल्य ई-दस्तावेज वीडियो आधारित केवाईसी यूआईडीआईआई से प्राप्त ई-केवाईसी डेटा

- खाता खोलने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्राप्त स्व-प्रमाणन और दस्तावेज सत्यापित किए गए हैं और सही पाए गए हैं.
- प्रमाणित किया जाता है कि ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित नियमों और शर्तों की प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई।
- प्रमाणित किया जाता है कि खाते के संचालन के लिए निहितार्थ और शर्तें जमाकर्ता को समझाई गई हैं (निरक्षर आवेदक के मामले में अनिवार्य)

जमाकर्ता का प्रकार निरक्षर दृष्टि बाधित स्टाफ S T A F F E C जोखिम श्रेणी:* उच्च मध्यम निम्न

एक या दो पहचान चिह्नों का विवरण, यदि कोई हो, जैसे कोई तिल या निशान (निरक्षर आवेदक के लिए अनिवार्य) सीआईएफ खोलने के लिए अनुमत

सत्यापन व्यक्तिगत रूप से किया गया और आवेदक का हस्ताक्षर/बाएं/दाएं अंगूठे का निशान सत्यापित किया गया

अधिकारी का नाम: क.कू. S T A F F E C हस्ताक्षर

तारीख: दि दि मा मा व व व व एसएस न. पदनाम

7 नामांकन (यदि आवश्यक फॉर्म डीए -1 भरें)

फार्म डीए -1 (नामांकन फार्म)

नामांकन का विवरण

बैंक जमा के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडए और नियम 1985 के तहत नामांकन.

पंजीकरण क्र.

मैं/हम निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं जिसे मेरी/अवयस्क की मृत्यु की स्थिति में इस जमा राशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा वापस कर दी जाए (शाखा / कार्यालय का नाम और पता जिसमें जमा राशि रखी गई है) द्वारा लौटायी जाए.

मैं / हम चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं कि नामांकित व्यक्ति का नाम पासबुक/ एफडीआर/एसडीआर पर छपा हो

जमा का विवरण

जमा का प्रकार.....

खाता क्रमांक:

नामिती का विवरण

नाम और पता

नामिती का मोबाइल नं.

जमाकर्ता के साथ संबंध आयु.....वर्ष नामिती के जन्म की तिथि (अवयस्क होने की स्थिति में)

जैसा कि इस तिथि को नामांकित व्यक्ति अवयस्क है मैं श्री/श्रीमती/कुमारी..... आयु.....वर्ष

पता.....को मेरी/नामिती की मृत्यु की स्थिति में अवयस्क की अवयस्कता की अवधि के दौरान जमा राशि को प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता/करती हूँ.

| | | |
|---|---|--|
| (प्रथम आवेदकों का हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान) | (द्वितीय आवेदकों का हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान) | |
| प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर | द्वितीय साक्षी के हस्ताक्षर | |
| नाम..... | नाम..... | |
| हस्ताक्षर..... | हस्ताक्षर..... | |
| पता..... | पता..... | (त्रितया आवेदक का हस्ताक्षर /आवेदकों के अंगूठे के निशान) |

(साक्षी तभी आवश्यक है यदि आवेदक निरक्षर है और उसने अंगूठे का निशान लगाया है)

तिथि स्थान

मैं/हम इस खाते के लिए किसी को नामित नहीं करना चाहता/चाहती हूँ/चाहते हैं

वैयक्तिकों के अलावा अन्य के पक्ष में नामांकन अमान्य है

| | | |
|---|---|--|
| (प्रथम आवेदकों का हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान) | (द्वितीय आवेदकों का हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान) | (त्रितया आवेदक का हस्ताक्षर /आवेदकों के अंगूठे के निशान) |
|---|---|--|

8 घोषणा सह वचन सह स्व प्रमाणन

1. मुझे/हमें खाता खोलने के लिए दिए गए नियमों और शर्तों की प्रति मैंने/हमने पढ़ ली है. नियम और शर्तें मुझे / हमें स्पष्ट की गई हैं और मैंने/हमने उन्हें समझ लिया है और उन्हें मैं/हम स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं.

2.अवयस्क के खाते के संबंध में

मैं इस बात की घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अवयस्क जिसकी जन्मतिथि है जो मेरा है और मैं उसका नैसर्गिक और विधिमान्य संरक्षक हूँ जिसे न्यायालय के आदेश दिनांक द्वारा नियुक्त किया गया है(प्रतिलिपि संलग्न) मैं उपरोक्त खाते में किसी भी विवरण के संबंध में भविष्य के लेन देन में उक्त अवयस्क का प्रतिनिधित्व करूंगा/करूंगी जब तक वह वयस्क नहीं हो जाता है. मैं उपरोक्त अवयस्क के दावे के संबंध में बैंक को मेरे द्वारा उसके खाते में किसी भी आहरण /लेनदेन के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार हूँ.

3.(मीयादी जमा खातों के मामले लागू अगर जरूरी नहीं तो काट दें)

मैं/हम यह वचन देता/देती हूँ/देंते हैं कि सावधि जमा दोनों में से "एक या उत्तरजीवी" या "पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी" के मामले में आवेदन-सह-जमा पर्वों के परिचालन अनुदेशों के अनुसार, किसी जमाकर्ता या पूर्ववर्ती की मृत्यु की स्थिति में मृतक जमाकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना आवेदन के साथ मृतक जमाकर्ताओं के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उत्तरजीवी को समय से पहले समाप्ति /भुगतान करने की अनुमति दे दी जाएगी.

4. मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा किसी अन्य बैंक / शाखा में बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) नहीं है (बीएसबीडी खाता के संबंध में लागू)

स्थान: तिथि:

| | | |
|---|---|--|
| (प्रथम आवेदकों का हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान) | (द्वितीय आवेदकों का हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान) | (त्रितया आवेदक का हस्ताक्षर /आवेदकों के अंगूठे के निशान) |
|---|---|--|

कार्यालय के उपयोग/अनुप्रमाणन के लिए

(केवल कार्यालय के उपयोग हेतु)

खाता खोलें

तिथि

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

ii) इंटरनेट बैंकिंग देखने के अधिकार लेनदेन का अधिकार दिये जाने की तारीख

iii) एटीएमकार्ड डेटा ट्रांसमिट करने की तारीख

iv) नामांकन क्रमांक:

v) प्रारंभिक (केवाईसी) सीमा:

vi) फोन बैंकिंग

आयकर नियम, 1962

अनुलग्नक-1

फॉर्म क्र. 60

[नियम 114 बी का दूसरा प्रावधान देखें]

घोषणा पत्र जो किसी व्यक्ति या ऐसे किसी व्यक्ति (कोई कंपनी या फर्म नहीं) द्वारा भरा जाएगा जिसके पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और जो नियम 114बी में विनिर्दिष्ट कोई लेनदेन करता है.

| | | | |
|----|--|--------------|-----------------------|
| 1 | प्रथम नाम | मध्य नाम | कुल नाम |
| 2 | जन्म तारीख /घोषणाकर्ता का निगमन | | |
| 3 | पिता का नाम (व्यक्ति के मामले में) | | |
| 4 | फ्लैट नं./फ्लोर नं. | | |
| 5 | परिसर का नाम / ब्लॉक नाम और नं. | | |
| 6 | रोड/ स्ट्रीट / लेन | | |
| 7 | क्षेत्र /स्थान | | |
| 8. | नगर/ जिला/ राज्य | | |
| 9 | पिन कोड | | |
| 10 | टेलीफोन नंबर (एसटीडी कोड के साथ) | | |
| 11 | मोबाइल नंबर | | |
| 12 | लेनदेन की राशि (रु.) | | |
| 13 | लेनदेन की तारीख | | |
| 14 | संयुक्त नाम पर लेनदेन के मामले में, लेनदेन में शामिल व्यक्तियों की संख्या | | |
| 15 | लेनदेन का माध्यम | नकद | चेक |
| | | कार्ड | ड्राफ्ट/बैंकर चेक |
| | | | ऑनलाइन अंतरण |
| | | | अन्य |
| 16 | यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) : | | |
| 17 | यदि पैन के लिए आवेदन किया है और अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, तो आवेदन करने की तारीख और पावती संख्या लिखें : दिनांक : _____ | | |
| 18 | यदि पैन के लिए आवेदन नहीं किया है, तो उस वर्ष की अनुमानित कुल आय लिखें (इसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुसार पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय भी शामिल करें), जिसमें उपर्युक्त लेनदेन किया गया है (क) कृषि आय (₹) _____ (ख) कृषि को छोड़कर अन्य आय (₹) _____ | | |
| 19 | कॉलम 1 में पहचान स्वरूप प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा (पीछे दिए गए अनुदेश देखें) | दस्तावेज कोड | दस्तावेज पहचान संख्या |
| 20 | कॉलम 4 से 13 में पहचान स्वरूप प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा (पीछे दिए गए अनुदेश देखें) | दस्तावेज कोड | दस्तावेज पहचान संख्या |

सत्यापन

मैं, _____ एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास स्थायी खाता संख्या नहीं है और मेरी/ हमारी अनुमानित आय (इसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 64 के अनुसार पति/ पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय भी शामिल है) की गणना आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार उस वित्तीय वर्ष के लिए की गई है जिसमें यह लेनदेन हुआ और यह लागू आयकर की अधिकतम छूट की राशि से कम है.

आज, _____ 20 _____ के _____ दिन सत्यापित.

स्थान :

(घोषणाकर्ताके हस्ताक्षर)

नोट: इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से पहले घोषणाकर्ता इस बात की संतुष्टि कर लें कि इस फॉर्म में प्रस्तुत जानकारी हर प्रकार से सत्य, सही और पूर्ण है. घोषणापत्र में गलत जानकारी देने वाले व्यक्ति आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 के तहत अभियोग के लिए पात्र होगा और दोषी पाए जाने पर उसे दंड दिया जाएगा.

(i) यदि किसी मामले में कर चोरी की राशि पच्चीस लाख रुपये से अधिक होगी तो कठोर कारावास का दंड दिया जाएगा जिसकी अवधि छह माह से कम नहीं होगी और जिसे जुर्माने के साथ सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा;

(ii) अन्य मामले में, कठोर कारावास का दंड जिसकी अवधि तीन माह से कम नहीं होगी और जिसे जुर्माने के साथ दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा.

2. घोषणापत्र स्वीकार करने वाला व्यक्ति उस स्थिति में घोषणापत्र स्वीकार नहीं करेगा यदि मद 18बी में उल्लिखित प्रकार की आय की राशि उस राशि से अधिक हो जो कर के लिए पत्र नहीं है, बशर्ते पैन के लिए आवेदन किया गया हो तथा मद 17 विधिवत भरा गया हो.

अनुदेश:

- (1) दस्तावेज, जो पहचान और पते के समर्थन में प्रस्तुत किए जाएंगे (यदि पैन के लिए आवेदन किया गया है और मद 16 भरा गया है, तो आवश्यक नहीं है): -

| क्र. | दस्तावेजों का प्रकार | दस्तावेज कोड | पहचान का प्रमाण | पते का प्रमाण |
|------|--|--------------|-----------------|---------------|
| ए | व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवार के लिए | | | |
| 1 | आधार कार्ड | 01 | हाँ | हाँ |
| 2 | बैंक/ पोस्ट ऑफिस की पासबुक जिस पर व्यक्ति की फोटो हो | 02 | हाँ | हाँ |
| 3 | मतदाता का फोटो पहचान-पत्र | 03 | हाँ | हाँ |
| 4 | राशन/ सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्ड जिस पर व्यक्ति की फोटो हो | 04 | हाँ | हाँ |
| 5 | ड्राइविंग लाइसेंस | 05 | हाँ | हाँ |
| 6 | पासपोर्ट | 06 | हाँ | हाँ |
| 7 | पेन्शनर फोटो कार्ड | 07 | हाँ | हाँ |
| 8 | राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस) जॉब कार्ड | 08 | हाँ | हाँ |
| 9 | जाति या अधिवास प्रमाणपत्र जिसमें व्यक्ति की फोटो हो | 09 | हाँ | हाँ |
| 10 | पहचान/ पता प्रमाणपत्र (फॉर्म 49ए में निर्धारित अनुलग्नक 'ए' के अनुसार) जो किसी संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या नगर निगम पार्षद या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो | 10 | हाँ | हाँ |
| 11 | नियोक्ता का प्रमाणपत्र फॉर्म 49ए में निर्धारित अनुलग्नक 'बी' के अनुसार | 11 | हाँ | हाँ |
| 12 | किसान पासबुक जिस पर घोषणाकर्ता की फोटो हो | 12 | हाँ | नहीं |
| 13 | हथियार का लाइसेंस | 13 | हाँ | नहीं |
| 14 | केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना/ पूर्व सैनिक अंशदान स्वास्थ्य योजना | 14 | हाँ | नहीं |
| 15 | सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र | 15 | हाँ | नहीं |
| 16 | बिजली बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो) | 16 | नहीं | हाँ |
| 17 | लैंडलाइन टेलीफोन बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो) | 17 | नहीं | हाँ |
| 18 | पानी का बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो) | 18 | नहीं | हाँ |
| 19 | उपभोक्ता गैस कार्ड/ बुक या पाइपड गैस बिल (3 महीने से अधिक पुराना न हो) | 19 | नहीं | हाँ |
| 20 | बैंक खाता विवरण (3 महीने से अधिक पुराना न हो) | 20 | नहीं | हाँ |
| 21 | क्रेडिट कार्ड विवरण (3 महीने से अधिक पुराना न हो) | 21 | नहीं | हाँ |
| 22 | डिपोजिटरी खाता विवरण (3 महीने से अधिक पुराना न हो) | 22 | नहीं | हाँ |
| 23 | संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज | 23 | नहीं | हाँ |
| 24 | सरकार द्वारा जारी आवास आबंटन-पत्र | 24 | नहीं | हाँ |
| 25 | पति/ पत्नी का पासपोर्ट जिस पर व्यक्ति का नाम हो | 25 | नहीं | हाँ |
| 26 | संपत्ति कर भुगतान रसीद (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो) | 26 | नहीं | हाँ |
| बी | व्यक्तियों के संघ हेतु (ट्रस्ट) | | | |
| | ट्रस्ट विलेख की प्रति या चैरिटी कमिश्नर द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति | 27 | हाँ | हाँ |
| सी | व्यक्तियों के संघ (ट्रस्टों को छोड़कर) या व्यक्ति निकाय या स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति | | | |
| | करार की प्रति या चैरिटी कमिश्नर या सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति या केंद्र या राज्य सरकार के विभाग द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज जिससे उस व्यक्ति की पहचान और उसका पता प्रमाणित होता हो. | 28 | हाँ | हाँ |

- (2) यदि किसी अवयस्क के नाम पर लेनदेन किया गया है, तो अवयस्क के माता-पिता/ अभिभावक की पहचान और पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत उपरोक्त में से किसी दस्तावेज को अवयस्क घोषणाकर्ता की पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा और घोषणापत्र पर माता-पिता/ अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए.
- (3) हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य के मामले में हिन्दू अविभक्त परिवार के कर्ता के नाम में कोई दस्तावेज होना चाहिए.
- (4) यदि लेनदेन एक से अधिक व्यक्ति के नाम पर है तो क्रम संख्या 14 में व्यक्तियों की कुल संख्या और क्रम संख्या 12 में लेनदेन की कुल राशि भरी जानी चाहिए.

यदि मद 18बी में अनुमानित कुल आय, कर की अधिकतम छूट की राशि से अधिक है तो उस व्यक्ति को पैन के लिए आवेदन करना होगा और मद 17 भरना होगा तथा उक्त आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.

संबंधित व्यक्ति का ब्योरा (अवयस्क द्वारा भरा जाए)

ग्राहक आईडी: सीकेवाईसी नं.:

खाता सं.:

नाम *: प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम

संबंधित व्यक्ति जोड़ना संबंधित व्यक्ति को हटाना

संबंधित व्यक्ति का केवाईसी (यदि उपलब्ध है)*

संबंधित व्यक्ति का प्रकार अवयस्क का अभिभावक समनुदेशिनी (असाइनी) प्राधिकृत प्रतिनिधि

नाम*: प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम

(यदि सीकेवाईसी नंबर एवं नाम प्रदान किया गया है तो निम्नलिखित विवरण वैकल्पिक है)

संबंधित व्यक्ति की पहचान का प्रमाण (POI)*

क-पासपोर्ट

ख-मतदाता पहचान पत्र

ग-डाइविंग लाइसेन्स

घ-यूआईडी(आधार)

ङ-नरेगा जॉब कार्ड

च-नेशनल पाप्युलेशन रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पते का ब्योरा हो

छ-अन्य (केंद्र सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित कोई अन्य दस्तावेज)

दस्तावेज सं./पहचान संख्या*

जारी करने की तारीख:* दि दि मा मा व व व व अवधि समाप्ति की तारीख (यदि लागू हो):* दि दि मा मा व व व व

टिप्पणी _____

FATCA घोषणा पत्र

ग्राहक आईडी: सीकेवाईसी नं.:

खाता सं.:

नाम *: प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम

नागरिकता*: IN-इंडिया अन्य देश का नाम:

जन्म स्थान/शहर*: जन्म देश*:

पता*

शहर/गांव*: जिला*:

राज्य*: पिन*:

मल्टीपल टैक्स रेजिडेंसी: भारत, और/ या यूएसए@ और/ या किसी अन्य देश या भारत से बाहर टेरिटरी में कर निवासी का देश संबंधी ब्योरा निम्नानुसार है:

| कर निवास देश # | कर पहचान संख्या या समतुल्य यदि अधिकार क्षेत्र द्वारा जारी किया गया है | पहचान प्रकार (TIN या अन्य, कृपया स्पष्ट उल्लेख करें) |
|----------------------|---|--|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

@ * यूएस में जन्मा व्यक्ति किन्तु जो अन्य देश (जिसे यूएस की नागरिकता नहीं दी गई है) का निवासी हो सहित यूएस का नागरिक
 * यूएस ग्रीन कार्ड धारक सहित यूएस में रहने वाला कोई भी व्यक्ति
 * कतिपय व्यक्ति जो प्रत्येक वर्ष यूएस में 180 दिनों से अधिक दिन व्यतीत करता है

अधिकार क्षेत्र/देश में पता -जहां आवेदक टैक्स के प्रयोजन से भारत के बाहर निवास करता है

पता*

शहर/गांव*: जिला*:

उप जिला: राज्य*:

देश का नाम * ZIP/पोस्ट कोड*

स्थान:

दिनांक:

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

1. मैं संपुष्टि एवं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने "बैंक" तथा बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न सेवाओं जिनमें डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/एसएमएस बैंकिंग/टेली बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/वर्चुअल बैंकिंग और कई अन्य सुविधाएं शामिल हैं, किंतु ये केवल यही नहीं, से संबंधित नियम व विनियम पढ़ और समझ लिए हैं। मैं बैंक/नियामक/सरकार द्वारा समय समय पर परिपत्रों, अधिसूचनाओं, सूचना पत्र/वेबसाइटों/समाचार-पत्र प्रकाशनों आदि के माध्यम से इनमें सूचित संशोधनों/परिशोधनों का अनुपालन करने के लिए करार करता/करती हूँ, इन संशोधनों/परिशोधनों के संबंध में मुझे व्यक्तिगत सूचना दिए जाने के अधिकारों, यदि कोई हों, का परित्याग करता/करती हूँ, मैं करार करता/करती हूँ कि मेरे यूजर आईडी एवं पासवर्ड/पिन/ओटीपी के तहत इंटरनेट, मोबाइल, टेलीबैंकिंग अथवा वर्चुअल बैंकिंग के माध्यम से मेरे खाते/तों) में किए गए लेनदेन व अनुरोध मुझ पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी होंगे और मैं ऐसे मामलों में अधिप्रमाणन परिचय विवरणों तथा किसी अन्य जानकारी/विवरणों/ओटीपी/पिन, आदि की गुप्तता और गोपनीयता के लिए जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी। मैं करार करता/करती हूँ कि बैंक को सभी अधिकार हैं कि वह जो कोई सेवा प्रभाव, खर्च या अन्य देयाराशियां मुझसे वसूल करने का हकदार/दिनदार है मेरे खाते के नाम (डेबिट) कर सके। मैं बैंक को प्राधिकृत भी करता/करती हूँ और करार भी करता/करती हूँ कि मुझे कोई सूचना दिए बिना मेरा खाता बंद/समाप्त किया जा सकता है। मैं एतद्वारा वचन देता/देती हूँ कि मेरे पत्राचार के पते अथवा संगठन में कोई परिवर्तन होने पर बैंक को सूचित करूंगा/करूंगी।
 2. आधार ब्योरे के अनुसार खोले गए खातों के संबंध में, मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड को पीएमएलए, 2002 के तहत केवाईसी मानदंडों के अनुपालन के लिए पहचान करने और/अथवा पते के प्रमाण के तौर पर स्वेच्छा से प्रस्तुत किया है और मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि बैंक यूआईडीएआई के साथ इसका सत्यापन कर सकता है और यूआईडीएआई को अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत करता/करती हूँ कि वह बैंक को बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन के माध्यम से मेरी पहचान और मेरा पता जारी कर सकता है। मैं इस खाते को एनपीसीआई मैपर के साथ जोड़ना चाहता हूँ, जिससे मैं इस खाते में भारत सरकार से एलपीजी सब्सिडी सहित डाइरेक्ट बनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्राप्त कर सकूँ। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि मुझे एक से अधिक बनेफिट ट्रांसफर मिलना होगा तो मुझे इस खाते में सभी बनेफिट ट्रांसफर मिलेंगे।
 3. मैं पुष्टि और घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे बैंक में खाता खोलने और/अथवा खाता रखने या किसी अन्य रूप में बैंक के साथ लेनदेन करने से किन्हीं लागू कानूनी/नियामक/अनुबंधात्मक या अन्य प्रावधानों द्वारा प्रतिकृत/प्रतिषिद्ध/प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
 4. मैं करार करता/करती हूँ कि मेरा व्यक्तिगत केवाईसी ब्योरा केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण के साथ साझा किया जा सकता है। मैं एतद्वारा सहमति देता/देती हूँ कि मैं बैंक/केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री/भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा मेरे पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल से जानकारी प्राप्त करूंगा/करूंगी। मैं यह भी करार करता/करती हूँ कि ऐसा कोई एसएमएस/ई-मेल प्राप्त न होने पर होने वाली किसी हानि या क्षति, चाहे जो कोई भी हो, के लिए बैंक देनदार नहीं होगा।
 5. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस मामले में मैंने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अधिसूचना क्र. ए.ओ. 2155(ई) दिनांक 7 अगस्त 2015 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285बीए के अंतर्गत और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संदर्भ क्र. डीबीआर. एएमएल.बीसी.नं.36/14.01.001/2015-16 दिनांक 28 अगस्त 2015 के अंतर्गत लागू नियमों और बादे में इनमें हुए परिशोधनों/संशोधनों के अनुसार अपनी हैसियत घोषित की है।
 6. मैं समझता/समझती हूँ, स्वीकार करता/करती हूँ और प्राधिकृत करता/करती हूँ कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस मामले में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवासीय स्थिति और/अथवा उसके तहत निर्धारित अन्य मापदंडों के आधार पर बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अथवा अन्य सरकारी एजेंसियों को निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार मेरे खाते(तों) का ब्योरा विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (सीआरएस) और/ अथवा ऐसी ही किन्हीं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में इंटर-गवर्नमेंटल एग्रीमेंट्स (आईजीए) के अनुसार दायित्वों का पालन करना होगा।
 7. मैं प्रमाणित एवं घोषणा करता/करती हूँ कि ऋण खाता खोलने और यहाँ अन्य सेवाएं प्राप्त करने या वेबसाइट के माध्यम से /इलेक्ट्रॉनिक रूप में जैसे मुझ पर लागू है/हैं ऋण खाता खोलने के लिए और अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराई गई जानकारी जिस पर मैंने हस्ताक्षर किए हैं/जिसे मैंने अधिप्रमाणित किया है या जिसके लिए मैंने दस्तावेजी साक्ष्य दिया है, मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं और मैंने कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई नहीं है जिससे मेरे खाते को यू.एस. रिपोर्टिंग अकाउंट अथवा अनेक रिपोर्टिंग खाते या अन्य किसी खाते के निर्धारण/श्रेणीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यहाँ मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना एवं जानकारी गलत या असत्य या भ्रामक या तात्किक तथ्य को छुपाई हुई पाई जाती है तो मैं इस बात से अवगत हूँ कि मुझे इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
 8. मैं इस जिम्मेदारी के लिए वचन देता हूँ कि यहाँ उपलब्ध कराई गई जानकारी में कोई परिवर्तन होने पर या कोई प्रमाण-पत्र गलत पाया जाता है या उसमें कोई परिवर्तन होता है तो इस संबंध में तत्काल घोषणा और प्रकटीकरण करूंगा/करूंगी और किसी भी स्थिति में परिवर्तन की तारीख या उसकी जानकारी अधिक से अधिक 30 दिनों में दूंगा/दूंगी। मैं यह भी वचन देता /देती हूँ कि मैं नया और वैध स्व-प्रमाणन दस्तावेजी साक्ष्य के साथ जब भी मांग की जाएगी उपलब्ध कराऊंगा/कराऊंगी पर यहाँ की गई सभी घोषणाएं और दिए गए वचन भी यहाँ मेरे द्वारा दिए गए दस्तावेज/जानकारी में किए गए ऐसे सभी परिशोधन/संशोधन भी तब तक लागू होंगे जब तक कि बैंक को उपर्युक्तानुसार संशोधित स्व-प्रमाणन उपलब्ध नहीं करा दिए जाते।
 9. मैं यह भी करार करता/करती हूँ कि मुझे इस समय या भविष्य में ज्ञात कोई महत्वपूर्ण तथ्य/जानकारी के प्रकटीकरण में चूक या दस्तावेजों/सूचना/अन्य ब्योरे में किसी कमी को निर्धारित समय में दूर करने में मेरे द्वारा कोई चूक किए जाने पर मैं खाते में लेनदेन से अविधिमानी हो जाऊंगा/जाऊंगी और बैंक अपने अधिकारों के तहत उक्त प्रयोजन से मेरे खाते के परिचालन प्रतिबंधित करने या इसे बंद करने या किसी नियामक को और/अथवा सरकार द्वारा नामित किसी प्राधिकरण/सीबीडीटी/भारतीय रिज़र्व बैंक इसकी सूचना दे सकेगा या भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के तहत बैंक द्वारा उचित समझी गई कोई अन्य कार्रवाई कर सकेगा।
 10. मैं यह भी करार करता/करती हूँ कि कोई अन्य विवरण बैंक को प्रस्तुत और सूचित करूंगा/करूंगी जो उपर्युक्त मामले में या किसी अन्य मामले में भारत में या विदेश में किसी कानून में कोई परिवर्तन होने के कारण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा।
 11. मैं बैंक को उस प्रत्येक हानि/नुकसान की क्षतिपूर्ति करूंगा/करूंगी जो बैंक को यहाँ प्रदत्त ब्योरे में कोई दोष/गलती के कारण या मेरे द्वारा गलत और अधूरी जानकारी देने के कारण होगा।
 12. मैं वचन देता/देती हूँ कि बैंक की अपेक्षानुसार समय समय पर केवाईसी जानकारी को अद्यतन करने के लिए आवश्यक नए केवाईसी दस्तावेजों के साथ आंकड़े/जानकारी प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।
 13. मैं समझता/समझती हूँ कि बैंक द्वारा केवाईसी से संबंधित ग्राहक सम्यक तत्परता (ड्यू डिलिजेंस) पूरी करने के बाद ही यह खाता सक्रिय किया जाएगा और इसमें नाम की अनुमति दी जाएगी।
 14. यदि खाता पैन के बिना खोला जाता है तो मैं वचन देता/देती हूँ कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित उस तारीख को या उसके पहले पैन प्रस्तुत करूंगा/करूंगी, ऐसा धनशोधन (अभिलेख रखरखाव) नियमावली 2005 के अनुसार न करने पर पैन प्रस्तुत करने के समय तक खाते में परिचालन नहीं किया जा सकेगा।
 15. यदि खाता खोलते समय वर्तमान पते के लिए वैध समझा गया कोई दस्तावेज नहीं दिया जाता है तो मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं खाता खोलने के 3 माह में वर्तमान पते के प्रमाणस्वरूप आधार या कोई अन्य वैध दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा/करूंगी, भारत सरकार के अनुदेशानुसार उस समय मेरा खाता परिचालित नहीं रहेगा।
 16. मुझे स्वागत किट प्राप्त हो गई है जिसमें इंटरनेट बैंकिंग किट और एटीएम/चेक बुक शामिल है और मैं समझता/समझती हूँ कि किट की सामग्री के किसी दुरुपयोग/गलत जगह पर रख दिए जाने के कारण बैंक किसी हानि/क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। (लघु/वि. स./बीएसबीडी खाते को छोड़कर)
 17. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि बचत बैंक खाते का उपयोग मेरे द्वारा केवल गैर-व्यावसायिक/गैर-वाणिज्यिक प्रकृति के लेनदेन के लिए किया जाए। यदि ऐसा कोई लेनदेन किया जाता है या ऐसा कोई लेनदेन वाणिज्यिक/व्यावसायिक/संदेहजनक या अवांछनीय पाया जाता है तो बैंक को यह अधिकार है कि उस खाते में एकतरफा परिचालन रोक दे और/अथवा उस खाते को बंद कर दे।
 18. मुझे खोले जाने वाले खाते के औसत तिमाही शेष (क्यूएबी) की अपेक्षा के बारे में बताया गया है और मैंने इसे समझ लिया है कि इन अपेक्षाओं में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकता है और ये संशोधन/परिवर्तन बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे जो मुझे इस आशय की सूचना के रूप में स्वीकार्य होंगे।
 19. मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि बीएसबीडी खाते की उत्पाद विशेषताएं (बीएसबीडी खाते के लिए आवेदन हेतु लागू) मुझे स्पष्ट कर दी गई हैं।
 20. मैं पावती देता/देती हूँ कि बचत बैंक खाता नियम और विनियम मुझे प्राप्त हो गए हैं।
 21. मुझे बताया गया है कि यदि मैं अपना मोबाइल नंबर नहीं दूंगा तो मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन सुविधा का पत्र नहीं होऊंगा/होऊंगी।
 22. (समाज कल्याण लाभों के लिए खोले गए खातों हेतु लागू)
- मैं समझता/समझती हूँ कि यह खाता बीएसबीडी श्रेणी के तहत खोला जाएगा। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि यदि मैं बीएसबीडी खाता जारी नहीं रखना चाहूंगा/चाहूंगी और सामान्य बचत बैंक रखना चाहूंगा/चाहूंगी तो मुझे सामान्य बचत बैंक खाते के लिए आवश्यक तिमाही औसत शेष (क्यूएबी) रखना होगा। इसलिए मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि मैं सामान्य बचत बैंक खाता रखना चाहूंगा/चाहूंगी तो मुझे खाते में क्यूएबी अवश्य बनाए रखना होगा। बैंक ऑफ़ बड़ौदा में मेरा कोई और बचत खाता नहीं है, मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा में अपने अन्य खाते को 30 दिनों भीतर बंद करवा दूंगा, यदि कोई हो।
23. मैं यह समझता/समझती हूँ कि इस खाते में तिमाही औसत शेष रखना आवश्यक है और इसके नहीं रखने पर बंद लगाया जाएगा। अंतः मैं तिमाही औसत शेष (क्यूएबी) रखने का वचन देता /देती हूँ।
 24. मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैं वचन देता/देती हूँ कि इनमें कोई परिवर्तन होने पर तत्काल आपको सूचित करूंगा/करूंगी और मुझे इस बात की भी जानकारी है कि इनमें से कोई विवरण झूठे या असत्य या भ्रामक या तात्किक तथ्य को दबाने वाले पाए गए तो मैं इसके लिए जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी।
 25. मैं/हम पुष्टि करता/करती हैं/करते हैं कि खाते के उत्पाद की विशेषताएं मुझे स्पष्ट कर दी गई हैं।
 26. अंतर्राष्ट्रीय ई-कॉमर्स मॉडर्न के लेनदेन के लिए प्रमाणिकरण का अतिरिक्त कारक अनिवार्य नहीं है। कार्ड अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के लिए निष्क्रिय स्थिति में प्रदान किया जाएगा जिसे आवश्यक होने पर उपलब्ध चैनलों द्वारा सक्रिय किया जा सकता है। कार्ड का प्रयोग बैंकों द्वारा समय-समय पर निर्धारित सीमा तक पैन के बिना संपर्करहित लेन-देन के लिए किया जा सकता है।
 27. मैं यह पुष्टि करता/ करती हूँ और वचन देता/देती हूँ कि मैं वर्चुअल मुद्राओं का लेनदेन नहीं करूंगा/ करूंगी तथा वर्चुअल मुद्राओं से संबंधित किसी भी सेवा के लिए अपने खाते का प्रयोग नहीं करूंगा/ करूंगी अथवा वर्चुअल मुद्राओं का लेनदेन या व्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति या इकाई को यह सुविधा प्रदान नहीं करूंगा/ करूंगी।
 28. मैं समझता/ समझती हूँ कि वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों के कम होने/ अपर्याप्त निधियों के कारण रु.1 करोड़ और उससे अधिक के मामले में 4 अवसरों और रु. 1 करोड़ से कम के मामले में 6 अवसरों पर ऋण चुकौती/ अनादरित चेकों / एनएसीएच / ईसीएस के लिए दिए गए स्थायी अनुदेशों के विफल होने की स्थिति में, कोई नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी, खाते को बंद करने पर भी विचार किया जा सकता है।

(प्रथम आवेदकों का हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान)

(द्वितीय आवेदकों का हस्ताक्षर/आवेदकों के अंगूठे के निशान)

(तृतीय आवेदक का हस्ताक्षर /आवेदकों के अंगूठे के निशान)

अपने ग्राहक को जानें दिशानिर्देश

खाता खोलने की अनिवार्यताओं को पूरा करने वाला कोई व्यक्ति, निर्धारित नियमों का पालन करने का करार करके, बचत बैंक खाता खोल सकता है, बशर्ते वह बैंक द्वारा मांगे गए पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण प्रस्तुत करे।

नामांकन एवं उत्तरजीविता सुविधा

बचत बैंक खातों में नामांकन सुविधा उपलब्ध है और खाताधारकों को सूचित किया जाता है कि अकल्पित परिस्थितियों में कानूनी वारिसों द्वारा दावे के शांतिपूर्ण निपटान के लिए इस सुविधा का उपयोग किया जाए। नामांकन केवल एक नामिती के पक्ष में किया जा सकता है। यदि वे नामांकन नहीं करना चाहते तो खाता खोलने के फॉर्म में यह तथ्य दर्ज किया जा सकता है जिस पर उन्हें अपने पूरे हस्ताक्षर करने होंगे। उत्तरजीविता लाभ वाले संयुक्त खाते का परिचालन उन परिस्थितियों में उत्तरजीवी द्वारा किया जा सकता है।

खातों के प्रकार, शेष संबंधी शर्त और सेवा प्रभार

आवेदक चेकबुक सुविधा या बिना चेकबुक के खाता खोल सकते हैं। बचत बैंक खातों के लिए निर्धारित वर्तमान तिमाही औसत शेष (क्यूएबी) तथा न्यूनतम शेष न रखने पर निर्धारित प्रभार बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर पर उपलब्ध है। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। बचत बैंक खाते में अधिकतम शेष के लिए कोई उच्चतम सीमा नहीं रखी गई है सिवाय अवयस्कों के खातों के।

अवयस्कों के खाते

अवयस्क जो एकसमान हस्ताक्षर रख सकते हैं और जिनकी आयु 10 वर्ष से कम नहीं है अपने अकेले के नाम में खाते खोल सकते हैं और उनमें ₹1,00,000/- (रुपये एक लाख केवल) की अधिकतम शेष राशि जमा रख सकते हैं।

अवयस्क अपने संरक्षकों के साथ संयुक्त खाते खोल सकते हैं।

कैसे खाता खोलें?

सामान्यतया, आवेदक (कों) को खाता खोलने की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए स्वयं उपस्थित होना चाहिए। वे निर्धारित आवेदन पत्र विधिवत स्वयं भरेंगे। आवेदक (कों) को केवाईसी दस्तावेज, भारतीय रिज़र्व बैंक/सीबीडीटी को जैसे लागू है तदनुसार घोषणा करनी होगी और हाल ही में लिए गए पासपोर्ट आकार के अपने दो फोटो प्रस्तुत करने होंगे। आवेदक ऑनलाइन खाता खोलने हेतु आवेदन भी कर सकते हैं। खाताधारक/खाताधारकों के हस्ताक्षर ठीक से किए हुए और पठनीय होने चाहिए। हस्ताक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में या ब्लॉक लैटर्स में नहीं होने चाहिए। प्रत्येक खाते को एक अलग खाता क्रमांक दिया जाएगा। बैंक के साथ लेनदेन करते समय खाताधारक/खाताधारकों को अपना खाता क्रमांक अवश्य उद्धृत करना चाहिए। खाताधारकों के अपने हित में है कि वे बैंक में दर्ज कराए गए नमूना हस्ताक्षरों के अनुसार खाता परिचालित करते समय और बैंक के साथ कोई पत्राचार आदि करते समय समान हस्ताक्षर करें।

पासबुक

खाताधारक को दी गई पासबुक और चेकबुक सुरक्षित स्थान पर रखी जानी चाहिए। इस संबंध में खाताधारकों की लापरवाही के कारण कोई हानि या गलत भुगतान होने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। आहरण फॉर्म द्वारा नकदी निकालते समय पास बुक अवश्य प्रस्तुत की जाए। चेक फॉर्म और डेबिट कार्ड का उपयोग करके आहरण बिना पास बुक भी किया जा सकता है। राशि जमा करते समय पास बुक प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। पास बुक नियमित रूप से अद्यतन कराई जाए। लेनदेन पूरा होने के तुरंत बाद पास बुक विधिवत अद्यतन करके खातेदार को लौटा दी जाएगी। खातेदार पास बुकों में की गई प्रविष्टियों की ध्यानपूर्वक जांच कर लें और यदि कोई भूल या चूक दो तो इसे बैंक के ध्यान में लाएं। गुम हुई या कटी-फटी पास बुक के बदले डुप्लीकेट पास बुक खातेदार के लिखित अनुरोध पर आवश्यक पूछताछ करने, औपचारिकताएं पूरी करने और निर्धारित प्रभार वसूल करने के बाद जारी की जाएगी। इसके लिए निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

चेक बुक

बैंक चेक बुक लागू प्रभार वसूल करके ही जारी करेगा। इसके लिए निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। यह जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है। खाता धारक बैंक द्वारा उन्हें जारी चेक बुकों से ही चेक का उपयोग करें। बैंक को यह अधिकार है कि वह अन्य किसी प्रकार से जारी किन्हीं चेकों का भुगतान करने से इनकार कर दे। सामान्यतया, बैंक एक बार में दो से अधिक चेक बुक जारी नहीं करेगा या पिछली बार जारी चेक बुक के सभी पन्ने समाप्त होने के पहले जारी नहीं करेगा। चेक ऐसे लिखे जाने चाहिए कि इन्हें ठीक से पढ़ा जा सके। जारी या गुम हुए चेकों के संबंध में भुगतान रोकने के अनुरोध निर्धारित सेवा प्रभार भुगतान करके बैंक में पंजीकृत कराए जा सकते हैं। इसके निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

सामान्य

बचत बैंक खाता मूलतः बचत राशि को जमा करने की आदत डालने की एक सुविधा है, इसका उपयोग चालू खाते के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। बैंक के पास यह मानने का यदि कोई कारण होगा कि खाताधारक ने अनुमत प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए खाते का उपयोग किया है तो बैंक उस खाते को बंद कर देगा।

जमाराशियां

नकदी जमा करने के प्रभार बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। नॉन होम शाखा में नकदी जमा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है (प्रभार के अर्थान) ₹10/- से कम राशि जमा करने के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी। चेक, ड्राफ्ट या अन्य लिखत जो खातेधारक के नाम में जारी किए गए होंगे खाते में जमा करने के लिए स्वीकार किए जाएंगे। खाताधारक के पक्ष में परांकित अन्य पक्ष लिखत स्वीकार नहीं किए जाएंगे। स्वीकृत लिखतों पर कोई आहरण तब तक सामान्यतया स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि उनकी उगाही नहीं की गई होगी। संतोषजनक ढंग से संचालित खातों में बाहरी/स्थानीय लिखतों की राशि समय समय पर निर्धारित मूल्य तक तत्काल जमा कर दी जाएगी। सामान्य क्लेक्शन और ऑउट ऑफ पॉकेट चार्जिस वसूल किए जाएंगे। वर्तमान सीमा और इसके लिए निर्धारित चार्जिस बैंक वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

आहरण

खाताधारक बैंक के मानक आहरण फॉर्म का उपयोग करके अपने साधारण बचत बैंक खाते से स्वयं पैसा निकाल सकते हैं। पासबुक आहरण फॉर्म के साथ अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए। आहरण फॉर्म खातेदार द्वारा स्वयं भुगतान प्राप्त करने के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है। एटीएम सह डेबिट कार्ड का भी एटीएम से पैसा निकालने के लिए उपयोग किया जा सकता है। खाताधारक ₹50 से कम राशि नहीं निकाल सकता। सभी आहरण केवल पूर्ण रूपये में होने चाहिए। तीसरा पक्ष भुगतान आहरण फॉर्म से करने की अनुमति नहीं है। यदि खातेदार स्वयं पैसा निकालने के लिए आने में असमर्थ हो तो किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से एक प्राधिकार-पत्र निर्धारित फॉर्मेट में पास बुक के साथ खाते से नकद पैसा प्राप्त करने के लिए बैंक को भेजा जाना चाहिए। किसी एक चेक फॉर्म से कम से कम ₹50 की राशि निकाली जा सकती है। किसी खाते में प्रति छः माह अधिकतम 50 निःशुल्क डेबिट प्रविष्टियाँ की जा सकती हैं। इस सीमा से अधिक आहरण होने पर बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध प्रभारों के अनुसार प्रभार लगाया जाएगा।

ओवरड्राफ्ट

बचत बैंक खातों में ओवरड्राफ्ट केवल पूर्व व्यवस्थाओं से असाधारण परिस्थितियों में ही अनुमत किया जाएगा। खाते में शेष से अधिक राशि के चेक बिना भुगतान वापस कर दिए जाएंगे। खाते में पर्याप्त शेष न होने पर बिना भुगतान वापस आने वाले एक चेक के लिए हर बार सेवा प्रभार वसूल किए जाएंगे। निर्धारित प्रभार (चार्जिस) बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

अपरिचालित खाते

खाताधारकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने खाते नियमित रूप से परिचालित करें। अपरिचालित खातों को पिछले खाता परिचालन के 24 महीनों के निर्धारित समय में अपरिचालित के रूप में श्रेणीबद्ध कर दिया जाएगा। इस संबंध में निर्धारित प्रभार (चार्जिस) बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

स्थायी अनुदेश

खाताधारक बैंक से अनुरोध कर सकता है कि वह समय समय पर बीमा प्रीमियम, सदस्यता शुल्क आदि का भुगतान सेवा प्रभार वसूल कर उसके खाते को नामे करके करे। इस संबंध में निर्धारित प्रभार (चार्जिस) बैंक की वेबसाइट और कॉन्टैक्ट सेन्टर में उपलब्ध हैं। इसकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

ब्याज का भुगतान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार समय-समय पर लागू ब्याज दरों के अनुसार ब्याज की गणना दैनिक उत्पाद आधार पर की जाएगी। ब्याज तिमाही अंतरालों पर खाते में जमा किया जाएगा। ब्याज का भुगतान तभी किया जाएगा यदि उसकी राशि ₹1 या अधिक होगी। 50 पैसे और अधिक को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जाएगा और अन्यथा इससे कम पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि प्रवर्तन प्राधिकरणों द्वारा खाते में परिचालन पर रोक लगा दी जाती है तो भी खाते में नियमित रूप से ब्याज जमा किया जाता रहेगा।

अंतरण (ट्रान्सफर) और खाता बंद करना

खाताधारक (खाताधारकों) के अनुरोध पर बैंक की शाखाओं के बीच पैसे अंतरण (ट्रान्सफर) किए जा सकते हैं। खाता बंद करने के अनुरोध में खाता बंद करने के कारण का उल्लेख किया जाए। ऐसे अनुरोध के साथ पास बुक प्रस्तुत की जाए। संयुक्त खाते उनके सभी संयुक्त हस्ताक्षरियों के अनुरोध पर ही बंद किए जा सकते हैं। यदि खाता खोले जाने के 14 दिनों के बाद से एक वर्ष में खाता बंद कर दिया जाता है तो सेवा प्रभार निर्धारित दर पर वसूल किए जाएंगे। इसके लिए निर्धारित वर्तमान प्रभार बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इनकी जानकारी शाखाओं से भी प्राप्त की जा सकती है।

नियमों में परिवर्तन

बैंक को यह अधिकार है कि वह इन नियमों एवं सेवा प्रभारों में परिवर्तन, समापन और परिवर्तन कर सकता है जिसकी जानकारी ग्राहक को बैंक की वेबसाइट और/या शाखा सूचना पट्ट के माध्यम से दी जाएगी।

बीएसबीडी खाते की विशेषताएँ

- i. नकदी जमा बैंक शाखा के साथ साथ एटीएम/सीडीएम मशीनों में की जा सकती है।
- ii. महीने में राशि कितनी भी बार और कितनी भी मूल्य के लिए जमा की जा सकती है।

- iii. किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल या केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों के चेकों द्वारा जमा की गई/उगाही गई राशि की रसीद/जमा दी जाएगी।
- iv. न्यूनतम 4 आहरण एटीएम आहरण सहित
- v. एटीएम कार्ड या एटीएम सह डेबिट कार्ड

4 Address details **Current** **Permanent** **Overseas** ***Applicable For FATCA**

Address type* Residential/Business Residential Business Registered Office Unspecified

Address*

City/Village*: District*:

State*: Pin*: Country Code*:

5 Address details **Correspondence** **Local /Current** **Same as Current/Permanent Address**

Address type* Residential/Business Residential Business Registered Office Unspecified Location* M U S U R

Address*

City/Village*: District*:

State*: Pin*:

6 If the Officially valid Documents (OVD) does not contain current address please provide any of the documents below.

Utility Bill (Not more than 2 months old) PPO/FPPO Property or Municipal tax receipt (Latest)

Letter of allotment of accommodation issued by employer/ issued by State or Central Government departments, statutory or regulatory bodies, Public sector undertaking, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies. Similarly, leave and license agreements with such employers allotting official accommodation.

Document No Date: D D M M Y Y Y Y

Self Declaration (If Aadhaar is voluntary provided for identification purpose and current address is different from available in central identities Data Repository, Authentication of Aadhaar number using e-KYC authentication facility provided by the UIDAI is mandatory)

7 DECLARATION CUM UNDERTAKING CUM SELF-CERTIFICATION

- I have read the copy of Terms and Conditions of the Account Opening form given to me. The Terms and Conditions have been explained to me/us and having understood, I accept the same.
- I hereby declare that I have submitted the Aadhaar Card issued by UIDAI voluntarily for identification and / or address proof towards the compliance of KYC norms under the PMLA, 2002
- I hereby consent that the Bank may verify the same with the UIDAI and authorise the UIDAI expressly to release the identity and address

Through Biometric /OTP based authentication to the Bank YES NO- (E-KYC authentication and Aadhaar seeding is mandatory for availing DBT benefit)

Please Paste Recent Passport Size Photograph (Do Not Staple)

Signature/Thumb Impression Of The Applicant
Please Sign In Black Ink Only

Place: Date: D D M M Y Y Y Y

8 FOR OFFICE USE Documents received Self certified True copies Notary Data received from offline verification

Digital KYC process Equivalent e-document Video based KYC E-KYC data received from UIDAI

Whether self-certification & documents received as part of account opening process have been verified and found correct

(i) Self-certification & documents received as part of account opening process have been verified and found correct

(ii) Certified that copy of terms and conditions signed by customer obtained.

(iii) Certified that the implications and conditions for the operations of the account have been explained to the depositor (only in case of illiterate applicant)

Depositor is Illiterate Blind Staff S T A F F E C Risk Category:* High Medium Low

Details of one or two identification marks, if any, such as a mole or scar (mandatory for illiterate applicant)

In person verification carried out and Signature /LTI/RTI of the applicant verified. Permitted to open CIF

Officer's Name: EC No: S T A F F E C Signature:

Date: D D M M Y Y Y Y SS No: Designation:

As per RBI guidelines on Customer Protection Policy – Limiting Liability of Customers in case of any unauthorized Electronic Banking transactions in your account, please refer Bank's Customer Protection Policy available at following link on our Bank's Corporate website.
<https://www.bankofbaroda.in/shareholders-corner/policies-codes>

Details of Nomination:

Registration No.

Nomination under section 45ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rules 1985 in respect of Bank Deposits.

I/We nominate the following person to whom in the event of my/minor's death the amount of this deposit, particulars of which are given below, may be returned by the Bank of Baroda,(Name & address of the branch /office in which the deposit is held.)

I/We want the name of the nominee to be printed on the passbook/FDR/SDR

Details of Deposit

Type of Deposit:

Account Number:

Details of Nominee

Name & Address:

Mobile Number of the Nominee

Relationship with the depositor..... Age.....Years

Date of Birth of nominee(in case of minor)

As the nominee is a minor on this date, I appoint Shri/Smt/Kum..... Age Years

Address..... to receive the amount of deposit on behalf of the nominee in the event of my/minor's death during the minority of the nominee

| | | |
|--|---|--|
| (Signature of the 1st Applicant/s/Thumb impression of the Applicant/s) | (Signature of the 2nd Applicant/s/Thumb impression of the Applicant/s) | (Signature of the 3rd Applicant/s/Thumb impression of the Applicant/s) |
| Signature of the first witness Name:..... Signature:..... Address:..... | Signature of the second witness Name:..... Signature:..... Address:..... | (Signature of the 3rd Applicant/s/Thumb impression of the Applicant/s) |

(Witnesses are required only in case applicant is illiterate and if affixing thumb impression) Date Place.....

I/We do not want to nominate any person in this account Nomination in favour of other than Individual is invalid

| | | |
|--|--|--|
| (Signature of the 1st Applicant/s/Thumb impression of the Applicant/s) | (Signature of the 2nd Applicant/s/Thumb impression of the Applicant/s) | (Signature of the 3rd Applicant/s/Thumb impression of the Applicant/s) |
|--|--|--|

8 DECLARATION CUM UNDERTAKING CUM SELF-CERTIFICATION

1.I/We have read the copy of Terms and Conditions of the Account Opening given to me/us. The Terms and Conditions have been explained to me/us and having understood, I/we accept the same.

2.(In case of Minor Accounts)

I hereby declare that date of birth of the minor who is my isand I am his/her natural and lawful guardian/guardian appointed by court order dated.....(copy enclosed) I shall represent the said minor in all future transactions of any description in the above account until the said minor attains majority. I indemnify the bank against the claim of the above minor for any withdrawal/transactions made by me in his/her account).

3. (Applicable in case of Term Deposit Accounts- (Strike out if not required))

I/We undertake that in case of term deposits with operating instructions "Either or Survivor", or "Former or Survivor" in line with the operating instructions of the application-cum-deposit slip, premature termination/payment will be allowed to the survivor in event of the death of the either of the depositors or former as the case may be on submission of the death certificate of the deceased depositors along with application without obtaining consent of the legal heirs of the deceased depositors.

4 I hereby declare that I do not maintain a Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) with any other Bank/Branch (Applicable in case of BSBDA Account)

Place:..... Date:

| | | |
|--|--|--|
| (Signature of the 1st Applicant/s/Thumb impression of the Applicant/s) | (Signature of the 2nd Applicant/s/Thumb impression of the Applicant/s) | (Signature of the 3rd Applicant/s/Thumb impression of the Applicant/s) |
|--|--|--|

FOR OFFICE USE/ATTESTATION

(for office use only)

Open Account

Date:

(Authorised signatory)

i) INB Viewing rights Transaction rights Given on:

ii) ATM Card data transmitted on:

iii) Nomination Serial No:

iv) Threshold (KYC) limit:

v) Phone Banking:

Income-tax Rules, 1962

FORM NO.60

[See second proviso to rule 114B]

Form for declaration to be filed by an individual or a person (not being a company or firm) who does not have a permanent account number and who enters into any transaction specified in rule 114B

| | | | | | | |
|----|---|---------------|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------|
| 1 | First Name | | Middle Name | | Surname | |
| 2 | Date of Birth / Incorporation of declarant | | | | | |
| 3 | Father's Name (in case of individual) | | | | | |
| 4 | Flat No./Floor No. | | | | | |
| 5 | Name of premises / Block Name & No. | | | | | |
| 6 | Road / Street / Lane | | | | | |
| 7 | Area / Locality | | | | | |
| 8. | Town/District/State | | | | | |
| 9 | Pin code | | | | | |
| 10 | Telephone Number (with STD code) | | | | | |
| 11 | Mobile Number | | | | | |
| 12 | Amount of Transaction (Rs.) | | | | | |
| 13 | Date of transaction | | | | | |
| 14 | In case of transaction in joint names, number of persons involved in the transaction | | | | | |
| 15 | Mode of transaction | Cash | Cheque | Card | Draft/Banker's Cheque | Online transfer |
| 16 | Aadhaar Number issued by UIDAI (if available) : | | | | | |
| 17 | If applied for PAN and it is not yet generated enter date of application and acknowledgement number : Date : | | | | | |
| 18 | If PAN not applied, fill estimated total income (including income of spouse, minor child etc., as per section 64 of Income-tax Act, 1961) for the financial year in which the above transaction is held (a) Agricultural income (Rs.) (b) Other than Agr Income (Rs.) | | | | | |
| 19 | Details of document being produced in support of identify in Column 1 (Refer Instruction overleaf) | Document code | Document identification number | Name and address of the authority issuing the document | | |
| 20 | Details of document being produced in support of identify in Column 4 to 13 (Refer Instruction overleaf) | Document code | Document identification number | Name and address of the authority issuing the document | | |

Verification

I, _____ do hereby declare that what is stated above is true to the best of my knowledge and belief. I further declare that I do not have a Permanent Account Number and my / our estimated total income (including income of spouse, minor child etc., as per section 64 of Income Tax Act, 1961) computed in accordance with the provisions of Income tax Act, 1961 for the financial year in which the above transaction is held will be less than maximum amount not chargeable to tax.

Verified today the _____ day of _____ 20 _____

Place :

(Signature of declarant)

Note: Before signing the declaration, the declarant should satisfy himself that the information furnished in this form is true, correct and complete in all respects. Any person making a false statement in the declaration shall be liable to prosecution under section 277 of the Income-tax Act, 1961 and on conviction be punishable,

(i) in a case where tax sought to be evaded exceeds twenty-five lakh rupees, with rigorous imprisonment which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;

(ii) in any other case, with rigorous imprisonment which shall not be less than three months but which may extend to two years and with fine.

2. The person accepting the declaration shall not accept the declaration where the amount of income of the nature referred to in item 18 b exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, unless PAN is applied for and column 17 is duly filled.

Instruction:

() Documents which can be produced in support of identity and address (not required if applied for PAN and item 16 is filled): -

| Sl. | Nature of Documents | Document Code | Proof of Identity | Proof of Address |
|----------|--|---------------|-------------------|------------------|
| A | For Individuals and HUF | | | |
| 1 | AADHAR card | 01 | Yes | Yes |
| 2 | Bank/Post office passbook bearing photograph of the person | 02 | Yes | Yes |
| 3 | Elector's photo identity card | 03 | Yes | Yes |
| 4 | Ration/Public Distribution System card bearing photograph of the person | 04 | Yes | Yes |
| 5 | Driving License | 05 | Yes | Yes |
| 6 | Passport | 06 | Yes | Yes |
| 7 | Pensioner Photo card | 07 | Yes | Yes |
| 8 | National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) Job Card | 08 | Yes | Yes |
| 9 | Caste or Domicile certificate bearing photo of the person | 09 | Yes | Yes |
| 10 | Certificate of identity/address signed by a Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or Municipal Councillor or a Gazetted Officer as per annexure A prescribed in Form 49A | 10 | Yes | Yes |
| 11 | Certificate from employer as per annexure B prescribed in Form 49A | 11 | Yes | Yes |
| 12 | Kisan passbook bearing photo | 12 | Yes | No |
| 13 | Arm's license | 13 | Yes | No |
| 14 | Central Government Health Scheme/ Ex -Service men contributory Health Scheme | 14 | Yes | No |
| 15 | Photo identity card issued by the government/Public Sector Undertaking | 15 | Yes | No |
| 16 | Electricity bill (<i>Not more than 3 months old</i>) | 16 | No | Yes |
| 17 | Landline Telephone bill (<i>Not more than 3 months old</i>) | 17 | No | Yes |
| 18 | Water bill (<i>Not more than 3 months old</i>) | 18 | No | Yes |
| 19 | Consumer gas card/book or piped gas bill (<i>Not more than months old</i>) | 19 | No | Yes |
| 20 | Bank Account Statement (<i>Not more than 3 months old</i>) | 20 | No | Yes |
| 21 | Credit Card statement (<i>Not more than 3 months old</i>) | 21 | No | Yes |
| 22 | Depository Account Statement (<i>Not more than 3 months old</i>) | 22 | No | Yes |
| 23 | Property registration document | 23 | No | Yes |
| 24 | Allotment letter of accommodation from Government | 24 | No | Yes |
| 25 | Passport of spouse bearing name of the person | 25 | No | Yes |
| 26 | Property tax payment receipt(<i>Not more than one year old</i>) | 26 | No | Yes |
| B | For Association of persons (Trusts) | | | |
| | Copy of trust deed or copy of certificate of registration issued by Charity Commissioner | 27 | Yes | Yes |
| C | For Association of persons (other than Trusts) or Body of Individuals or Local authority or Artificial Juridical Person) | | | |
| | Copy of Agreement or copy of certificate of registration issued by Charity commissioner or Registrar of Cooperative society or any other competent authority or any other document originating from any Central or State Government Department establishing identity and address of such person. | 28 | Yes | Yes |

() In case of a transaction in the name of a Minor, any of the above-mentioned documents as proof of Identity and Address of any of parents/guardians of such minor shall be deemed to be the proof of identity and address for the minor declarant, and the declaration should be signed by the parent/guardian.

() For HUF any document in the name of Karta of HUF is required.

() In case the transaction is in the name of more than one person the total number of persons should be mentioned in Sl. No. 14 and the total amount of transaction is to be filled in Sl. No. 12.

In case the estimated total income in column 18b exceeds the maximum amount not chargeable to tax the person should apply for PAN, fill out item 17 and furnish proof of submission of application.

TERMS AND CONDITIONS FOR OPENING OF SB ACCOUNTS

1. I affirm and declare that I have read over and understood the rules and regulations of the "Bank" and those relating to various services offered by the Bank including but not limiting to debit card/internet banking/SMS banking/Tele-Banking/Mobile Banking/Virtual Banking and any other facilities. I agree to abide by the same as amended/modified from time to time by the Bank/Regulator/Government published through circulars, notifications, notice board/websites/newspaper publications, etc. I waive the rights, if any, to have personal notice in respect of such amendments/modifications. I agree that the transactions and requests executed in my account(s) through internet, mobile, tele-banking or virtual banking under my User ID and password/PIN/OTP will be legally binding on me & I am responsible for the maintenance of secrecy and confidentiality of the authentication credentials and any other information/details/OTP/PIN, etc., in such matters. I agree that Bank has got all the rights to debit my account for any service charge, expenses or other dues which the Bank is entitled/ liable to recover from me. I also authorise the Bank and agree to close/discontinue my account without any notice to me. I hereby undertake to inform the Bank on any change in my communication address or constitution.
2. In respect of accounts opened on the basis of Aadhaar details, I hereby declare that I have submitted the Aadhaar Card issued by UIDAI voluntarily for identification and/or address proof towards the compliance of KYC norms under the PMLA, 2002 and I hereby consent that the Bank may verify the same with the UIDAI and authorise the UIDAI expressly to release the identity and address through biometric authentication to the Bank. I wish to seed this account with NPCI mapper to enable me to receive Direct Benefit Transfer (DBT) including LPG subsidy from Govt of India (GOI) in this account. I understand that if more than one benefit transfer is due to me, I will receive all the benefit transfer in this account.
3. I confirm and declare that I am not prevented/prohibited/restricted by any applicable legal/regulatory/contractual or other provisions from opening and/or maintaining the accounts or to transact with the Bank in any other way.
4. I agree that my personal KYC details may be shared with Central KYC registry or any other competent authority. I hereby consent to receive information from the Bank/Central KYC Registry/ GoI/RBI or any other authority through SMS/e-mail on my registered mobile number/ e-mail address. I also agree that the non-receipt of any such SMS/e-mail shall not make the Bank liable for any loss or damage whatsoever in nature.
5. I hereby certify that I have declared my status as per the rules applicable under section 285BA of the Income Tax Act, 1961 as notified by Central Board of Direct Taxes (CBDT) vide Notification No. S.O. 2155(E) dated 7 August 2015 and RBI Circular Ref No. DBR.AML.BC.No.36/ 14.01.001/2015-16 dated 28 August 2015 in the matter including any subsequent modification/amendment thereof.
6. I understand, acknowledge and authorize that as per the provisions of Income Tax Act, Rules made thereunder and the guidelines issued by the Government/RBI in the matter, depending upon the residential status and/or other criteria stipulated therein, the Bank may have to report the details in respect of my account(s) as per the prescribed format to the Central Board of Direct Taxes (CBDT) or other Government Agencies to comply with the obligations as per the Inter-Governmental Agreements (IGA) in respect of Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) and Common Reporting Standards (CRS) and / or any other similar arrangements.
7. I certify & declare that the information provided by me for opening loan account and availing other services herein or through website/electronically as applicable to me signed/authenticated by me as well as in the documentary evidence provided by me for opening loan account and availing other services are, to the best of my knowledge and belief, true, correct and complete and that I have not withheld any material information that may affect the assessment/categorization of my account as a U.S. Reportable Account or Other Reportable Account or otherwise. In case any of the information or details provided by me is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I am aware that I may be held liable for it.
8. I undertake the responsibility to declare and disclose immediately and in no case beyond 30 days from the date of change, any changes that may take place in the information provided herein/ or otherwise, as well as in the documentary evidence provided by me or if any certification becomes incorrect or undergoes a change. I further undertake to provide fresh and valid self-certification along with documentary evidence as and when so required; nevertheless all declaration and undertaking given herein will also be applicable to all such modified/amended document/information provided by me unless revised self-certification as above is provided to the Bank.
9. I also agree that my failure to disclose any material fact/information known to me now or in future or my failure to remedy any deficiency in documents/information/other details within the stipulated period, may invalidate me from transacting in the account and the Bank would be within its right to put restrictions in the operations of my account or to close it or to report to any regulator and/or any authority designated by the Government of India (GoI)/RBI for the said purpose or take any other action as may be deemed appropriate by the Bank under the guidelines issued by CBDT/ RBI/GoI from time to time.
10. I also agree to furnish and intimate to the Bank any other particulars that are called upon me to provide on account of any change in law either in India or abroad in the above matter or otherwise.
11. I shall indemnify the Bank from any loss/damage that may be caused to the Bank on account of any defect/mistake in the details provided herein or on account of providing incorrect or incomplete information by me.
12. I undertake to submit data/information together with fresh KYC documents for updation of KYC details at periodical intervals as may be required by the Bank.
13. I understand that the account will be activated and debits will be allowed only after completion of Customer Due Diligence relating to KYC by the Bank.
14. In case the account is opened without PAN, I undertake to submit PAN on or before such date as may be notified by the Government of India, failing which the account shall cease to be operational till the time PAN is submitted, as per Prevention of Money -Laundering (Maintenance of Records) Rules 2005.
15. In case, deemed OVDs are submitted for Current Address at the time of Account opening, I undertake to submit Aadhaar or any of the OVD having Current Address within 3 months from the date of account opening, failing which I understand that my account may cease to be operational as per GOI guidelines at the material time.
16. I have received the Welcome Kit containing INB Kit and ATM card/cheque book and understand that in case of any misuse/misplacement of the contents of the Kit, the Bank will not be liable for any loss/damage. (Except Small /FI /BSBD Account)
17. I hereby certify that the Savings Bank Account would be used by me to route transactions of only non-business/non-commercial nature. In the event of occurrence of such transactions or any such transactions that may be construed as commercial/business/dubious or undesirable, the Bank reserves the right to unilaterally freeze operations in such accounts and /or close the account.
18. I have been advised of Quaterly Average Balance (QAB) requirement for the account to be opened and given to understand that these requirements are subject to revision/changes and such revision/changes will be uploaded in the Bank's site which will be acceptable to me as a notice to that effect.
19. I confirm that the product features of BSBD account have been explained to me (applicable to BSBD account applicant)
20. I acknowledge receipt of rules and regulations of Savings Bank Account.
21. I have been advised that if I do not provide my mobile number, I will not be eligible for any facility of electronic transactions.
22. (Applicable for accounts opened for credit of Social Welfare Benefits)
I understand that this account will be opened under BSBD category. I also understand that in case, I do not wish to continue in this BSBD account and switch over to Regular Saving bank account, I will have to maintain the Quaterly Average Balance (QAB) applicable for Regular Savings Bank Account. I therefore undertake to maintain QAB in the account if I switch over to Regular Savings Bank Account from BSBD. I do not maintain any other SB Account in Bank of Baroda. I will close my other Savings Accounts in Bank of Baroda within 30 days if any.
23. I understand that the requirements of Quaterly Average Balance (QAB) and penalty for non-maintenance will be applicable in this account. I therefore undertake to maintain Quaterly Average Balance (QAB).
24. I hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my knowledge and belief and I undertake to inform you of any changes therein, immediately in case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting. I am aware that I may be held liable for it.
25. I/We confirm that the product features of account have been explained to me
26. Additional factor of authentication is not mandatory for transactions on International E-Commerce merchants. Card will be supplied with international transactions disabled status which can be enabled with available channel as and when required. Card can be used for contact less transaction up to limit prescribed by the Banks from time to time without PAN.
27. I confirm and undertake that I will not deal in virtual currencies and will not use my account for any services relating to virtual currencies or facilitate any person or entity in dealing with or settling virtual currencies
28. I understand that in the event of failed standing instructions for loan repayment/dishonor of cheque/NACH/ECS due to lack of funds/insufficient funds on 04 occasions during financial year for Rs.1 crore and above and 06 occasions for below Rs.1 crore, no fresh cheque book would be issued, closure of account may also be considered.

(Signature of the 1st Applicant/s/Thumb impression of the Applicant/s)

(Signature of the 2nd Applicant/s/Thumb impression of the Applicant/s)

(Signature of the 3rd Applicant/s/Thumb impression of the Applicant/s)

Know Your Customer Guidelines

Any person fulfilling account opening requirements may, upon agreeing to comply with the prescribed rules, open a Savings Bank Account, provided she/he furnishes proof of identity and proof of address as required by the Bank.

Nomination & Survivorship Facility

The nomination facility is available on Savings Bank Accounts and the account holders are advised to avail of this facility for smooth settlement of claim by legal heirs in unforeseen circumstances.

Nomination can be made in favour of only one nominee. In case they do not wish to make a nomination, the fact should be recorded on the account opening form under their full signature. Joint account with survivorship benefit can be operated by the survivor, in such circumstances.

Types of Accounts, Balance Stipulation & Service Charges

The applicants can open an account either with chequebook facility or without chequebook. The current quarterly average balances prescribed for SB accounts and the charges prescribed for non maintenance of minimum balance, are available at the Banks website and Contact Centre. The information can also be obtained from Branches. There is no ceiling on maximum balance in Savings Bank account, except for Minors account.

Minors Accounts

Minors who can adhere to uniform signature and are not less than ten years old can open account in their single name and maintain their in a maximum balance of Rs. 1,00,000/-(Rs. One lac only). Minors may open joint accounts with their guardians.

How To Open An Account?

In ordinary course, applicant(s) should attend the Bank personally for completion of formalities for opening the account. They will duly fill in and sign the prescribed application form. Applicant(s) should submit KYC documents, declaration as applicable for RBI/CBDT and two copies of his/her/ their recently taken passport size photographs. Applicants can also apply for opening an account online. Account holders signatures must be legible and well formed. Signatures should not be in capital or block letters. Each account will be given a distinctive account number. While dealing with the Bank, this number should be invariably quoted by the account holder(s). The account holders, in their self-interest, are expected to adhere to uniform signature as per specimen recorded with the Bank while operating the accounts and addressing any correspondence to the Bank.

Pass Book

The pass book and cheque book supplied to the account holder should be kept in a safe place. The Bank will not be responsible for any loss or incorrect payment attributable to the account holders neglect in this regard. For withdrawing cash by means of a withdrawal form, the pass book must be presented. Withdrawals using cheque forms and Debit card can be effected without pass book. Deposits may be made without production of the pass book. Pass book should be got updated regularly. The pass book will be returned to the account holder immediately after completion of the transaction duly updated.

The account holders should carefully examine the entries in their pass books and draw the Banks attention to errors or omissions, if any.

Duplicate in lieu of the lost or mutilated pass book may be issued on receipt of a written request from the account holder after necessary enquiries, completion of formalities and recovery of prescribed charges. The current charges prescribed for this are available at the Banks website and Contact Centre. This information can also be obtained from Branches.

Cheque Book

Bank shall issue Cheque Book subject to recovery of charges as applicable.

The current charges prescribed for this are available at the Banks website and Contact Centre. This information can also be obtained from Branches.

The account holders must use only the cheques from the cheque books issued to them by the Bank. The Bank reserves the right to refuse payment of any cheques drawn otherwise. Ordinarily, Bank will not issue more than two cheque book at a time or before exhausting all or nearly all cheque leaves issued previously. Cheques must be written legibly. Stop payment instructions in respect of cheques issued or lost can be registered with the Bank on payment of a prescribed service charge. The current charges prescribed for this are available at the Banks website. This information can also be obtained from Branches.

General

Savings Bank account is essentially a facility to build up savings and hence must not be used as a Current Account. Bank may close an account should it have any reason to believe that the account holder has used her/his account for a purpose for which it is not allowed.

Deposits

Charges for Cash deposits are available on Bank's website. No restrictions on cash deposit at Non Home branch (subject to charges). No deposit in cash for less than Rs 10/- will be accepted. Cheques, drafts or other instruments drawn only in favour of the account holder will be accepted for credit of the account. Third party instruments endorsed in favour of the account holder will NOT be accepted. No drawings against accepted instruments will be normally permitted until these are realized. In satisfactorily conducted accounts, immediate credit will be afforded for outstation / local instruments upto the value laid down from time to time. The normal collection and out of pocket charges will be recovered. The current limit and charges prescribed for this are available at the Banks website and Contact Centre. This information can also be obtained from Branches.

Withdrawals

The account holder can withdraw money personally from her/his ordinary Savings Bank Account by using Banks standard withdrawal form. The passbook/ any NDS must accompany the withdrawal form.

The withdrawal form can be used only for receiving payments by the account holder himself/ herself. ATM cum Debit card can also be used in ATMs for cash withdrawal. The account holder cannot withdraw an amount less than Rs. 50/-. All withdrawals must be in round Rupees only. Third party payments through withdrawal forms are not permitted. A letter of authority as per the prescribed format, along with the pass book should be sent to the Bank through an authorized representative to receive payment in case the account holder is unable to attend personally to withdraw cash from her/his account. The minimum drawing permitted per cheque form is limited to Rs. 50. The maximum number of free debit entries permitted in an account is 50 transactions per half year.

Charges prescribed for exceeding this limit are available at the Banks website and Contact Centre.

This information can also be obtained from Branches. Cash withdrawal can be made from the accounts of the sick, old or incapacitated account holders who are unable to attend the Bank and/or also not able to put their signature or thumb impression for withdrawing cash by completing the laid down formalities.

Overdrafts

Overdrafts in Savings Bank accounts may be permitted under exceptional circumstances with prior arrangements only. Cheques drawn in excess of the balance in the account will be returned unpaid. Service charge will be recovered each time a cheque is returned unpaid for want of sufficient funds. Charges prescribed for this are available at the Banks website and Contact Centre. This information can also be obtained from Branches.

Inoperative Accounts

Account holders are advised to operate their accounts regularly. Accounts not operated are classified as Inoperative after the stipulated time period of 24 months since last operation.

Standing Instructions

The account holder can request the Bank for effecting periodical payment of insurance premium, membership fees, etc. by debit to her/ his account on payment of service charges. The current prescribed charges for Standing Instruction are available at the Banks website. This information can also be obtained from Branches.

Payment of Interest

As per RBI guidelines applicable from time to time. Interest will be calculated on a daily product basis. Interest will be credited to the account at quarterly intervals. Interest will be paid only if it works out to Rs. 1 or more. There after fifty paise and more will be rounded off to the next higher rupee and anything less will be ignored. In case of accounts frozen by the enforcement authorities, Bank shall continue to credit the interest to the account on a regular basis.

Transfer & Closure Of Account

Accounts may be transferred between branches of the Bank at the request of the account holder(s). Request for closure of account should state the reason for closure. The pass book must accompany such request. Joint accounts can be closed only at the request of all such joint signatories. Service charge at prescribed rate will be recovered if an account is closed after 14 days upto one year of its opening. The current charges prescribed for this are available at the Bank's website. This information can also be obtained from Branches.

Change In Rules

The Bank reserves the right to alter, delete or add to any of these Rules and service charges for which the customer will be duly notified through Bank's website and/or branch notice board.

Features of BSBD account. i. The deposit of cash at bank branch as well as ATMs/CDMs

ii. Receipt / credit of money through any electronic channel or by means of deposit / collection of cheques drawn by Central / State Government agencies and departments.

iii. No limit on number and value of deposits that can be made in month.

iv. Minimum 4 withdrawals including ATM withdrawals

v. ATM Card or ATM-cum-Debit Card